(57)

<u>झारखण्ड सरकार</u>

<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

पत्र संख्या–वन भूमि–04 / 2024– 3574 व०प०, राँची, दिनांक– 15/10/2025

प्रेषक,

राजदीप संजय जॉन,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003.

विषयः– **गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–105 दिनांक–02.02.2024, पत्रांक–50 दिनांक–13.01.2025 एवं पत्रांक–736 दिनांक–23.09.2025 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तो के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(1) प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

(3) प्रस्ताव के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि का हस्तान्तरण/ नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

(4) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(5) प्रस्ताव के पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा पार्ट–III में संबंधित वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(6) CWLW के पत्रांक–949 दिनांक–21.08.2025 द्वारा प्रस्तावित शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(7) अन्य मानक, सामान्य एवं लागू शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
15/10/25
(राजदीप संजय जॉन)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–04 / 2024–3574 व०प०, राँची, दिनांक– 15/10/2025

प्रतिलिपि–उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची–834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

15/10/25
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–04 / 2024–3574 व०प०, राँची, दिनांक– 15/10/2025

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/Vice President, Gondulpara Coal Project, Adani Enterprises Ltd., Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishno Devi Circle, S.G. Highway, Khodiyar Ahmadabad-382421, Gujrat, India को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/25
सरकार के विशेष सचिव।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 219.80 ha of Forest Land for Gondulpara Coal Mine.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 219.80 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-3574-- dated-15/10/2025.

16/10/25

Rajdeep Sanjay Lal John
Special Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Special Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date: 16/10/2025.

Place: Ranchi

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 105 दिनांक :– 02.2.2024

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 1965 दिनांक 22.09.2023
2. इस कार्यालय के पत्रांक 1068 दिनांक 27.10.2023
3. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 2933 दिनांक 27.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 1965 दिनांक 22.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव ऑनलाईन एवं उसकी हार्ड कॉपी पाँच प्रतियों में इस कार्यालय को प्राप्त हुयी है।

उक्त प्रस्ताव के समीक्षा के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1068 दिनांक 27.10.2023 द्वारा सात बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी, जिसका निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2933 दिनांक 27.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा समर्पित किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित किया जाता है :–

1. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :–

प्रमण्डल का नाम	अधिसूचित वन भूमि का रकवा (हे0 में)	गैर मजरुआ जंगल–झाड़ी (हे0 में)	कुल रकवा (हे0 में)	गैर वनभूमि (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	210.68	9.12	219.80	293.38	0.7

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
929
07 FEB 2024
झारखण्ड, राँची।

2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में ऑनलाईन Form-A (Part-I) में आवेदन दर्ज है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक–A)**
3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Acknowledgement Slips समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक–1)**
4. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Document in support of competence/authority of person making application on behalf of user agency समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 2)**
5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Copy of approval letter of mining plan (vide letter no.13016/31/2006-CA-I dated 24.06.2009 समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 4)**
6. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Copy of proposed Rehabilitation and Resettlement Plan समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 5)**

7. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Cost Benefit Analysis समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 6)**

8. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Copy of Brief Note on the Project समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 7)**

9. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Copy of Note on Coal Dispatch from Gondulpara Coal Mine समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 8)**

10. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 1077 दिनांक 03.07.2023 द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्गत FRA समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 9)**

11. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक 2365 दिनांक 10.07.202 द्वारा गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का निर्गत अनापति प्रमाण पत्र समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 10)**

12. प्रस्ताव के साथ उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक 771 दिनांक 25.02.2023 के साथ प्रपत्र–I में प्रमाण पत्र एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रपत्र–II में बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 11)**

13. प्रस्ताव के साथ अंचल अधिकारी, बड़कागांव के पत्रांक 403 दिनांक 16.04.2021 द्वारा निर्गत Certified Land Schedule संलग्न है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 12)**

14. परियोजना में प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या– 32,328 प्रतिवेदित है। प्रस्ताव के साथ वृक्षों की प्रजातिवार गणना सूची (सारांश) संलग्न है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक–13)**

15. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Justification for Locating the Gondulpara Coal Mine in forest land समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 14)**

16. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Justification for Locating the OB dump area in forest land समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 15)**

17. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking regarding Rehabilitation and Resettlement Plan समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 16)**

18. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Separate Undertaking regarding Payment of NPV, CA & any other levy imposed by Government समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 17a, 17b, 17c)**

19. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking for compliance of Additional Conditions imposed by State or Central Government समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 18)**

20. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण Undertaking regarding Environment Clearance समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 19)**

21. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking for Submission of Soil and Water Conservation Scheme/CAT Plan समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 20)**

22. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking for Submission of Integrated Wildlife Management Plan (Specific Plan based on NKCB) समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 21)**

23. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Duly Signed DGPS Report समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनु0– 22)**

24. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Salient Features of Geological Report समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 23)**.

25. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Geological Report of Gondulpara Coal Mine समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 24)**

26. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Copy of Approved Mine Plan of Gondulpara Coal Mine समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 25)**

27. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land of Gondulpara Coal Block समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 26)**

28. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Copy of Geo-Referenced Map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 27)**

29. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Reclamation Plan समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 28a, 28b, 28c, 28d)**

30. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Cadastral Map representing River/Nallah, plot wise details of forest land, GM Jungle Jhari Land with different colors as per certified land schedule. समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 29)**

31. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Village Maps (Gondulpara, Hahe, Gali, Balodar) समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 30)**

32. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Cadastral Map/Land use plan along with Demarcation of Safety Zone for Gondulpara Coal Block समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 31)**

33. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा KML File/Shape File, soft copy of forest area patch of Gondulpara Coal block in CD समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 32)**

34. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा KML File/Shape File, soft copy of River/Nallah lying in proximity of Gondulpara Coal Block in CD समर्पित की गई है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 33)**

35. प्रस्ताव के साथ CA Land Details along with CA Scheme, Suitability Certificate & Geo-referenced Map संलग्न है। **(फोल्डर–2 का अनुलग्नक– 34, फोल्डर–3 का अनुलग्नक–L)**

36. प्रस्ताव में Violation नहीं रहने से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्वता समर्पित किया गया है। **(फोल्डर–3 का अनुलग्नक– J)**

37. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Minimum use of forest land से संबंधित वचनबद्वता समर्पित किया गया है। **(फोल्डर–3 का अनुलग्नक– K)**

38. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 35)**

39. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का Recommendation संलग्न है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 36)**

40. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का ऑनलाईन एवं आर्फलाईन पार्ट–2 संलग्न है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 37 एवं 38)**

41. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का Justification संलग्न है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 39)**

42. प्रस्ताव के साथ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 40)**

43. प्रस्ताव के साथ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पार्ट–III (मंतव्य) संलग्न है। **(फोल्डर–1 का अनुलग्नक– 41)**

22

44. प्रस्ताव में CWLW का मंतव्य अपेक्षित है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिसे प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायेगा।

45. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य Part-IV संलग्न है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु सशर्त्त अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी उनके मंतव्य से सहमत है।

अतः मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ अग्रतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0ः—यथोक्त।
(मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ)

विश्वासभाजन,

01/02/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

1-2-24

E:\Ranjeet\Letters\Gondulpara 219.80 ha\Letter\Gondulpara 219.80 ha..docx

(39)

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 50 दिनांक :– 13/1/2025

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।

प्रसंग :– 1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या 1025 दिनांक 18.03.2024

2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2228 दिनांक 20.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या 1025 दिनांक 18.03.2024 द्वारा गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है, जिसका निराकरण प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रातिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 280 दिनांक 31.03.2024 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2228 दिनांक 20.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त के आलोक में पृच्छा का निराकरण निम्नवत प्रतिवेदित है :–

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
i.	CWLW का मंतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रातिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 280 दिनांक 31.03.2024 द्वारा प्राप्त मंतव्य की प्रति संलग्न है।
ii.	प्रस्ताव के विरूद्ध चिन्हित CA Land के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश की कंडिका–2.2(xii) के अनुरूप Present owner के willingness संबंधी Registered Agreement की प्रति।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2228 दिनांक 20.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि के मौजा हुण्डी एवं तेतरडाण्ड (जिला–लोहरदगा) कुल रकवा 22.77 हे0 को हटा दिया गया एवं प्रस्ताव में गिरी ग्राम (जिला–पलामू) कुल रकवा– 23.88 हे0 को सम्मिलित किया गया है। इस बदलाव का मुख्य कारण रैयतों के बीच आम सहमति नहीं बन पाना था। प्रस्ताव में जोड़े गए भू–खण्ड से संबंधित दस्तावेजों की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गयी है। सभी प्रस्तावित गैर–वनभूमि की Present Owner के Willingness संबंधी Registered Agreement की प्रति PARIVESH PORTAL पर दिनांक 07.10.2024 को अपलोड कर दी गई है।

सचिव कोषांग
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं0 265
17 JAN 2025
झारखण्ड, राँची

38

अतः विषयगत परियोजना प्रस्ताव में उपरोक्त पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

13/01/20

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

13-1-20

(49)

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 736 दिनांक :– 23/9/2025

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 426 दिनांक 05.02.2025
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का पत्रांक 949 दिनांक 21.08.2025
3. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 1687 दिनांक 22.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रासंगिक पत्र–1 द्वारा गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) में दो बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का बिन्दुवार निराकरण की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.02.2025 को की गयी पृच्छा	निराकरण स्थिति
(i)	नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र के लिए तैयार Integrated Wildlife Management Plan के संबंध में CWLW के कार्यालय से निर्गत निदेश के आलोक में CWLW का मंतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 949 दिनांक 21.08.2025 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
(ii)	क्या विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने के पूर्व Revised Mining Plan के अनुमोदन की आवश्यकता होगी ?	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1687 दिनांक 22.08.2025 द्वारा Approved Revised Mining Plan परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये उसकी हार्ड प्रति समर्पित की गयी है। Approved Revised Mining Plan की दो प्रतियाँ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:–यथोक्त।

सचिव कोषांग
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं0 4769
24 SEP 2025
झारखण्ड, राँची

विश्वासभाजन,

23/09/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

4725
25/9/2025

E:\Ranjeet\Letter\Gondulpara 219.80 ha\Letter\Gondulpara 219.80 ha..docx

48

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

वन भवन, डोरण्डा, राँची
Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

पत्र संख्या :– 949 राँची, दिनांक 21/05/2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।

प्रसंगः– आपका कार्यालय पत्रांक 369 दिनांक 06.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विषयगत प्रस्ताव हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन से संबंधित है। इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 06 दिनांक 12.02.2019 एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित मंतव्य के आलोक में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत हैः–

1. *इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 06 दिनांक 12.02.2019 के कण्डिका–4 अनुसार यदि वन भूमि अपयोजन हेतु परियोजना प्रस्ताव के Stage-I स्वीकृति में निहित शर्त में Site Specific Wildlife Management Plan बनाने का प्रावधान किया गया है तो उसका क्रियान्वयन IWMP guidelines के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर एवं बजटीय उपबंध सुनिश्चित कर किया जायेगा।*

   Site Specific Wildlife Management Plan के क्रियान्वयन हेतु राशि उत्तरी कर्णपुरा कोल ब्लॉक क्षेत्र के लिए निर्धारित प्रारंभिक पर्यावरण निधि में अंशदान के रूप में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.786 लाख रूपये प्रति हे0 की दर से जमा राशि के अतिरिक्त होगी।

2. स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में Barking deer, Common Mongoose, Indian Fox, Jackal, Hyena, Pangolin, Hare, Peafowl, Red Jungle Fowl, Quail, Cobra, Karait, Russell's Viper, Python आदि जंगली जानवर पाये जाते है और प्रस्तावित क्षेत्र एवं उसके आस–पास जंगली हाथियों का भी आवागमन होता है।

   अतः वन्यप्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए overpass/ underpass की आवश्यकताओं को explore करते हुए स्थल विशिष्ट वन्यप्राणी प्रबंधन योजना (Site Specific Wildlife Management Plan) का निर्माण एवं क्रियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण के खर्च पर कराया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन

21/05/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, रांची।

आवक 2069 दिनांक 29/8/2025

D:\Pandey\letter 3

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड
वन भवन, डोरण्डा, रांची-834002
Email : pccf-wildlife@gov.in,Phone No. 0651-2481744

LiFE
Lifestyle for Environment

पत्रांक : 280   रांची दिनांक: 21/03/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः– गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।

प्रसंगः– आपका कार्यालय ज्ञापांक 105 दिनांक 02.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विषयगत प्रस्ताव में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित मंतव्य के आलोक में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत हैः–

''प्रस्तावित वनभूमि एवं इसके आस–पास के क्षेत्र में विभिन्न वन्यप्राणियों का प्राकृतिक पर्यावास है। साथ ही इस क्षेत्र एवं इसके आस–पास के क्षेत्रों से जंगली हाथियों का भी आवागमन होते रहता है। प्रस्तावित खनन कार्य का वन एवं वन्यप्राणी पर प्रभाव कम से कम हो इसके लिए विषयगत प्रस्ताव की स्वीकृति के कम में स्थल विशिष्ट वन्यप्राणी प्रबंधन योजना का निर्माण तथा इसका किार्यान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण के खर्च पर कराया जाना अपेक्षित होगा।''

विश्वासभाजन

21/3/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

डायरी सं. 559
दिनांक 26/3/2024

D:\Pandey\letter 3